

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को **रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)** अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

01 मृतकों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों/दावेदारों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता, मोबाईल सं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए. स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बिरेन्द्र चौधरी, 42, स्व० भजन चौधरी, अनु० जाति	गीता देवी (पत्नी)	974, 31.12.2025 246, 21.04.2026	ग्राम-सिकरिया, पो०-मेवड़ सिकरिया, थाना-सिकरिया, प्र०+ जिला-जहानाबाद मो०-91559551 79	741517 000249 64	MBGB, PUNB0 MBGB0 6	50,000/- (पचास हजार रूपये)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य

**कुल रु० 50,000/-
(पचास हजार रूपए)**

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक- 252, दिनांक- 25.02.2026 के क्रमांक-11 रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-अंक०स०-37/2025(अंश) - 134 पटना, दिनांक :-18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति,

नियोजन भवन को दंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संस्थान एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनाएं प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल: - ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, मण्ड/श्रम अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित/आई.टी.डी. सैनजर, श्रम संस्थान एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संस्थान एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

Signed by Rohit Kumar
Date: 16-06-2026 12:38:33
(साहित किया)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

Rajesh Bhatti